



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052020-219600
CG-DL-E-27052020-219600

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]
No. 240]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2020/ज्येष्ठ 6, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2020/JYAISTHA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 315(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ड) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2020 है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, -
(क) नियम 10फ में, -

(i) उपनियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(11) उपनियम (5) से उपनियम (10) के उपबंध 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे।

(12) निधि प्रबंधक को निधि द्वारा संदत्त की जाने वाली पारिश्रमिक की ऐसी रकम, जिसे धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ड) में निर्दिष्ट की गई है, निम्नलिखित रीति से गणना की जाएगी, अर्थात्:-

(i) ऐसी दशा में, जहां निधि श्रेणी-1 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 के विनियम 5 के खंड (क) के मद (i), मद (ii) या मद (iii) और मद (iv) के उपमद III में निर्दिष्ट की गई है, पारिश्रमिक की रकम प्रबंधन के अधीन आस्ति का 0.10 प्रतिशत होगी।

(ii) अन्य दशा में, पारिश्रमिक की रकम निम्नलिखित होगी, -

(क) प्रबंधन के अधीन आस्ति का 0.30 प्रतिशत, या

(ख) निधि प्रबंधक द्वारा किए गए निधि प्रबंधन कार्यकलाप से विनिर्दिष्ट बाधा दर से अधिक निधि द्वारा प्राप्त लाभों का 10 प्रतिशत, जहां यह केवल निधि द्वारा प्राप्त आय या लाभों से जुड़े पारिश्रमिक का हकदार है; या

(ग) प्रबंधन फीस का 50 प्रतिशत, चाहे वह नियत भार की प्रकृति में हो या निधि प्रबंधक द्वारा किए गए प्रबंधन कार्यकलाप से निधि द्वारा प्राप्त आय या लाभों से जुड़ा हो या निधि प्रबंधक द्वारा किए गए प्रबंधन कार्यकलाप की वाबत ऐसी निधि द्वारा संदत्त जो परिचालन व्यय, जिसके अंतर्गत वितरण व्यय, यदि कोई हो, से उद्भूत रकम द्वारा कम किया गया हो;

परन्तु इस उपखंड के उपबंध केवल तभी लागू होंगे जब निधि का किसी अन्य निधि प्रबंधक को प्रबंधन फीस का संदाय कर रही है;

परन्तु यह और कि उस दशा में जहां पारिश्रमिक की रकम खंड (i) या खंड (ii) के अधीन प्राप्त रकम से कम है वहां निधि अपने विकल्प पर 10फक के उपनियम (2) में निर्दिष्ट सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को पारिश्रमिक की रकम के रूप में उस कम रकम के लिए उक्त नियम के अधीन बोर्ड के अनुमोदन की ईप्सा करते हुए आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, बोर्ड सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् ऐसी कम रकम को पारिश्रमिक की रकम के रूप के अनुमोदित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "प्रबंधन के अधीन आस्ति" से निधि के ऐसे हिस्से के मूल्य के आरंभिक और अंतिम अतिशेष के मासिक औसत का वार्षिक औसत अभिप्रेत है जो निधि प्रबंधक द्वारा प्रबंधित किया जाता है;

(ख) "प्रबंधन फीस" से एक लेखाकार से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित रकम अभिप्रेत है जो इस प्रयोजन के लिए नियम 11पख के स्पष्टीकरण के खंड (i) में यथापरिभाषित है ;

(ग) "विनिर्दिष्ट बाधा दर" से ऐसी पूर्व परिभाषित अवसीमा अभिप्रेत है जिससे परे निधि प्रबंधक द्वारा किए गए निधि प्रबंधन कार्यकलाप से निधि द्वारा अर्जित लाभों के किसी शेयर का संदाय करने के लिए सहमत है।

(13) निधि प्रबंधक, धारा 9ड के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी रिपोर्ट के अतिरिक्त, निधि के लिए किए गए कार्यकलाप की वाबत लेखाकार से एक रिपोर्ट प्राप्त करेगा और ऐसी रिपोर्ट को ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यकरूप से सत्यापित प्ररूप सं. 3गडजक में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले उसमें उपदर्शित रीति में प्रस्तुत करेगा और अधिनियम के सभी उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों यह धारा 92ड के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट हो।";

(ii) उपनियम (11) और उपनियम (12) को क्रमशः उपनियम (14) और उपनियम (15) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।";

(ख) मूल नियमों के परिशिष्ट II में,-

(i) प्ररूप सं. 3गडज के पश्चात् निम्नलिखित अतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 3 गड्जक**[नियम 10फ (13) देखिए]**

किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा कतिपय शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में धारा 9क के प्रयोजन के लिए किसी लेखापाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

*मैंने / हमने..... (पैन सहित निधि प्रबंधक का नाम और पता) के निधि प्रबंधन कार्यकलाप और अन्य संव्यवहारों या सेवाओं, जिन्हें निधि प्रबंधक द्वारा पात्र विनिधानकर्ता निधि / निधियों को 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के दौरान प्रदान किया गया है, के संबंध में लेखाओं और अभिलेखों की जांच कर ली है,

1. *मेरी/हमारी राय में निधि प्रबंधक द्वारा निधि प्रबंधन कार्यकलाप और निधि प्रबंधक द्वारा किए गए संव्यवहारों या निधि / निधियों को दी गई सेवाओं की बाबत जहाँ तक निधि प्रबंधक के अभिलेखों की *मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, यथाविहित उचित सूचना और दस्तावेज रखे गए हैं।

2. धारा 9क के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विषिष्टियाँ इस प्ररूप के उपाबंध में दी गई हैं। *मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और *मुझे/ हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबंध में दी गई विषिष्टियाँ सत्य और सही हैं।

** हस्ताक्षरित

नाम:

पता:

सदस्यता सं. :

स्थान :

तारीख:

टिप्पण :

1. * जो लागू न हो, उसे काट दें।

2. ** इस रिपोर्ट पर धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा-परिभाषित लेखापाल द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

प्ररूप सं. 3 गड्जक के उपाबंध

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क के प्रयोजनों के लिए दिए जाने के लिए अपेक्षित निधि प्रबंध कार्यकलाप से संबंधित विशिष्टियाँ

1. निधि प्रबंधक का नाम
2. पता
3. स्थायी लेखा संख्यांक
4. निधि प्रबंधक के कारबार या कार्यकलाप की प्रकृति
5. प्रास्थिति

6. आवासीय प्रास्थिति
7. भारतीय प्रतिभूत और विनियम बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के ब्योरे
 - (क) विनियम, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है
 - (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और तारीख
 - (ग) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी, यदि लागू हो
8. समाप्त हुआ पूर्ववर्ष
9. क्या निधि प्रबंधक और निधि धारा 92ख के अधीन उपबंध के निबंधनानुसार है? हां / नहीं
10. लेखा बहियों के अनुसार पात्र निधि/ निधियों से प्राप्त पारिश्रमिक का संकलित मूल्य
11. निम्नलिखित ब्योरों सहित, उन पात्र विनिधान निधियों की सूची, जिनके लिए निधि प्रबंधक ने निधि प्रबंध कार्यकलाप किए हैं
 - (क) अपतट निधि का नाम
 - (ख) निधि के आवास का देश
 - (ग) क्या निधि प्रबंधक, निधि का कोई कर्मचारी है? हां /नहीं
 - (घ) क्या निधि प्रबंधक, निधि से सम्बंधित व्यक्ति है? हां /नहीं
 - (ङ) निधि प्रबंधक के माध्यम से किए गए कार्यकलापों से निधि को पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत लाभ की रकम
 - (च) (ङ.) में से वह रकम, जिसका निधि प्रबंधक अपने सम्बंधित व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हकदार है
12. प्रत्येक पात्र विनिधान निधि और किए गए प्रत्येक कार्यकलाप की बाबत प्राप्त पारिश्रमिक की विशिष्टियां (यदि ऐसे कार्यकलाप का पारिश्रमिक पृथकतः दिया गया है):
 - (क) निधि का नाम और पता, जिसके लिए निधि प्रबंधक ने कार्यकलाप किया है
 - (ख) कार्यकलाप का वर्णन
 - (ग) कार्यकलाप की बाबत प्राप्त या प्राप्त कुल रकम –
 - (i) लेखा बहियों के अनुसार;
 - (ii) इस निमित्त विहित रकम के संबंध में निधि प्रबंधक द्वारा यथासंगणित;
13. पात्र विनिधान निधि के साथ/ की ओर से निधि प्रबंधक द्वारा किए गए किसी अन्य संव्यवहार की बाबत विशिष्टियां :
 - (क) क्या निधि प्रबंधक ने कोई अन्य संव्यवहार किया है या पात्र विनिधान निधि को या निधि की ओर से कोई अन्य सेवा दी है, किन्तु जो पूर्वोक्त में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं हो हां/ नहीं
 - (ख) यदि हां, तो प्रत्येक निधि और प्रत्येक संव्यवहार या सेवा की बाबत निम्नलिखित ब्योरे दें:
 - (i) पात्र विनिधान निधि का नाम और पता, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या जिसको सेवा दी गई है

(ii) संव्यवहार का वर्णन/ सेवा की प्रकृति

(iii) ऐसे संव्यवहार/सेवा के मद्दे संदत्त/प्रप्त या संदेय/प्राप्त रकम-

- लेखा बहियों के अनुसार ;
- सन्निकट कीमत को ध्यान में रखकर निधि प्रबंधक द्वारा यथासंगणित

(iv) सन्निकट कीमत के अवधारण के लिए प्रयुक्त पद्धति (धारा 92ग (1) देखिए)

**हस्ताक्षरित

स्थान:

नाम:.....

तारीख:

पता :.....

टिप्पण: **यह रिपोर्ट धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित की जानी है।

(ii) प्ररूप सं. 3गडट के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“प्ररूप सं. 3गडट

(नियम 10 फख देखिए)

किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

क्र. सं.	शीर्षक	ब्यौरे	टिप्पणियां, यदि कोई हों
1	वित्तीय वर्ष, जिसके लिए विवरण प्रस्तुत किया गया है		
2	पात्र निधि का नाम		
3	निधि का पता		
4	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)		
5	आवास का देश		
5क	आवास के देश का कर पहचान संख्यांक, यदि कोई हो		
6	निधि का लेखा वर्ष		
7	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन, यदि कोई हो, के ब्यौरे		
8	क्या वित्तीय वर्ष के दौरान निधि धारा 9क में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा किया है और अनुमोदित निधि की दशा में, क्या उन शर्तों को भी पूरा किया है, जिनके अध्यक्षीन अनुमोदन प्रदान किया गया था हाँ / नहीं		
9	यदि 8 का उत्तर नहीं में है, तो उसके ब्यौरे और पूरा नहीं किए जाने की अवधि तथा उसके कारण दें		
10	क्या भारत में निवासी किसी व्यक्ति का निधि में वर्ष के दौरान प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई भागीदारी हित था? हाँ / नहीं		

11	यदि 10 का उत्तर हां में है, तो व्यक्ति (व्यक्तियों) और प्रतिशतता हित के ब्यौरे दें		
12	किसी भारतीय समुत्थान की बाबत वर्ष के दौरान किए गए किसी शेयर धारिता करार के ब्यौरे		
13	निधि के लिए या उसकी ओर से सेवाएं देने वाले भारत में निधि प्रबंधक (प्रबंधकों) के ब्यौरे और उनके भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड रजिस्ट्रीकरण संख्यांक		
14	क्या निधि प्रबंधक (प्रबंधकों) को संदत्त पारिश्रमिक विहित रकम से कम नहीं है और वह आधार, जिस पर यह अवधारित किया गया है		
15	भारत में निधि द्वारा या निधि की ओर से 13 में उपदर्शित निधि प्रबंधक के माध्यम से भिन्न माध्यम से किए गए किसी अन्य कार्यकलाप के ब्यौरे		
16	निधि द्वारा उसके विनिधानों पर प्राप्त लाभ की रकम		
17	निधि के प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के संपर्क ब्यौरे		

सत्यापन

मैं(पूरा नाम, स्पष्ट अक्षरों में).....पुत्र/ पुत्री..... (पदनाम)..... ऊपर लिखित.....(निधि का नाम) की ओर से सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि प्ररूप में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और यह कि उसमें दर्शायी गई अन्य विशिष्टियों का सत्य कथन है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह प्ररूप मेरेहैसियत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ/ रही हूँ और मैं इसे प्रस्तुत करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

आज तारीखको सत्यापित किया गया।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम।

[अधिसूचना सं. 29/2020 /फा. सं. 142/15/2015-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उप-खंड (i) में सं. का. आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना सं. सा.का.नि. 304 (अ), तारीख 20.05.2020 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2020

INCOME-TAX

G.S.R.315(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with clause (m) of sub-section (3) of section 9A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (10th Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), -

(a) in rule 10V,-

(i) after sub-rule (10), the following shall be inserted, namely: -

“(11) The provisions of sub-rule (5) to sub-rule (10) shall not apply on or after the 1st day of April, 2019.

(12) the amount of remuneration to be paid by the fund to a fund manager, referred to in clause (m) of sub-section (3) of section 9A, shall be calculated in the following manner, namely: -

(i) In case where the fund is Category-I foreign portfolio investor referred to in item (i), item (ii) or item (iii), and sub-item III of item (iv) of clause (a) of regulation 5 of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the amount of remuneration shall be 0.10 per cent of the asset under management.

(ii) In other cases, the amount of remuneration shall be, -

(a) 0.30 per cent. of the asset under management; or

(b) 10 per cent. of profits derived by the fund in excess of the specified hurdle rate from the fund management activity undertaken by the fund manager, where it is entitled only to remuneration linked to the income or profits derived by the fund; or

(c) 50 per cent. of the management fee, whether in the nature of fixed charge or linked to the income or profits derived by the fund from the management activity undertaken by the fund manager, paid by such fund in respect of the fund management activity undertaken by the fund manager as reduced by the amount incurred towards operational expenses including distribution expenses, if any:

Provided that the provisions of this sub-clause shall apply only in case the fund is also making payment of management fee to any other fund manager :

Provided further that in case where the amount of remuneration is lower than the amount arrived at under *clause* (i) or *clause* (ii), the fund may, at its option, apply to the Member, Central Board of Direct Taxes referred to in sub-rule (2) of rule 10VA seeking approval of the Board under said rule for that lower amount to be the amount of remuneration, and, on receipt of such application the Board may, after satisfying itself considering the relevant facts, approve such lower amount to be the amount of remuneration.

Explanation. - For the purposes of this rule.—

(a) “asset under management” means the annual average of the monthly average of the opening and closing balances of the value of such part of the fund which is managed by the fund manager;

(b) “management fee” means the amount as mentioned in the certificate obtained from an accountant, as defined in *clause* (i) of *Explanation* to rule 11UB, for this purpose;

(c) “specified hurdle rate” means a pre-defined threshold beyond which the fund agrees to pay a share of the profits earned by the fund from the fund management activity undertaken by the fund manager.

(13) The fund manager shall, in addition to any report required to be furnished by it under section 92E, obtain a report from the accountant in respect of activity undertaken for the fund and furnish such report on or before the specified date in the Form No. 3CEJA duly verified by such accountant in the manner indicated therein and all the provisions of the Act shall apply as if it is a report to be furnished under section 92E.”;

- (ii) sub-rule (11) and sub-rule (12) shall be renumbered as sub-rule (14) and sub-rule (15) respectively.”;
- (b) In the principal rules, in Appendix II, -
- (i) after Form No 3CEJ, the following shall be inserted, namely: -

“FORM No. 3CEJA

[See rule 10V (13)]

Report from an accountant to be furnished for purpose of section 9A regarding fulfilment of certain conditions by an eligible investment fund

*I/We have examined the accounts and records of (name and address of the fund manager with PAN) relating to the fund management activity and other transactions or services rendered by the fund manager to the eligible investment fund/ funds during the previous year ending on 31st March,

1. In*my/our opinion proper information and documents as are prescribed have been kept by the fund manager in respect of fund management activity and other transactions or services rendered by the fund manager to the fund/funds so far as appears from *my/our examination of the records of the fund manager.
2. The particulars required to be furnished for the purpose of section 9A are given in the Annexure to this Form. In*my/our opinion and to the best of my/our information and according to the explanations given to *me/us, the particulars given in the Annexure are true and correct.

**Signed:

Name:

Address:

Membership No.:

Place:

Date:

Notes:

1. *Delete whichever is not applicable.
2. **This report has to be signed by an accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288.

ANNEXURE TO FORM No. 3CEJA

Particulars relating to fund management activity required to be furnished for the purposes of section 9A of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the Fund Manager:
2. Address
3. Permanent account number
4. Nature of business or activities of the fund manager
5. Status
6. Residential status
7. Details of SEBI registration:
 - (a) Regulation under which registered
 - (b) Registration number and date
 - (c) Foreign portfolio investor category, if applicable
8. Previous year ended
9. Whether Fund Manager and Fund are related in terms of provision under section 92B. Yes/ No
10. Aggregate value of remuneration received from the eligible fund/ funds as per books of account
11. List of eligible investment funds for whom the fund manager has

undertaken the fund management activity, with the following details:

- (a) Name of the offshore fund.
- (b) Country of residence of the fund
- (c) Whether the fund manager is an employee of the fund
- (d) Whether the fund manager is a connected person of the Fund Yes/ No
- (e) The amount of profit accruing or arising, during the previous year, to the fund from the activities carried out through the fund manager Yes/ No
- (f) The amount out of (e) to which the fund manager along with its connected persons is, directly or indirectly, entitled to

12. Particulars of remuneration received in respect of each eligible investment fund and each activity undertaken (if such activity is separately remunerated):

- (a) Name and address of the fund for which the fund management activity has been undertaken.
- (b) Description of the activity.
- (c) Total amount received or receivable in respect of the activity-
- i) as per books of account;
- i) as computed by the fund manager having regard to the amount prescribed in this behalf.

13. Particulars in respect of any other transaction undertaken by the fund manager with/on behalf of the eligible investment fund:

- (a) Has the fund manager entered into any other transaction or rendered any other service to the eligible investment fund or on behalf of the fund, but not specifically referred to above? Yes/ No
- (b) If 'yes' provide the following details in respect of each fund and each transaction or service:
- (i) Name and address of the eligible investment fund with which the transaction has been entered or to whom services have been rendered
- (ii) Description of the transaction/ nature of service.
- (iii) Amount paid/ received or payable/ receivable on account of such transaction/ service-
- as per books of account;
 - as computed by the fund manager having regard to the arm's length price.
- (iv) Method used for determining the arm's length price [See section 92C(1)]

**Signed:

Name:

Address:

Place:

Date:

Notes:** This report has to be signed by an accountant as defined in the *Explanation* below sub-section (2) of section 288.”;

- (ii) For Form No 3CEK, the following Form shall be substituted, namely:-

“FORM No. 3CEK

[See rule 10VB]

Statement to be furnished by an eligible investment fund to the Assessing Officer

Sl No.	Heading	Details	Remarks if any
1	Financial Year for which the Statement is being submitted		
2	Name of the eligible fund		
3	Address of the fund		
4	Permanent Account Number (if Allotted)		
5	Country of Residence		
5A	Tax Identification No., if any, of country of residence		
6	Accounting year of the Fund		
7	Details of Approval if any granted by CBDT		
8	Whether during the Financial Year the fund has satisfied all the conditions specified in section 9A and in case of Approved Fund whether conditions subject to which approval was granted, have also been fulfilled. YES/NO		
9	If answer to 8 is No then provide details and period of non-fulfilment and the reasons thereof		
10	Whether any person resident in India had any participation interest directly or indirectly in the fund during the year? Yes/NO		
11	If answer to 10 is Yes provide details of person(s) and percentage interest		
12	Details of any shareholding agreement entered during the year in respect of any Indian Concern		
13	Details of Fund Manager(s) in India rendering services for or on behalf of the Fund and their SEBI registration number(s)		
14	Whether remuneration paid to the Fund manager (s) is not less than the amount prescribed and the basis on which it has been calculated		
15	Details of any other Activity carried out by the Fund or on behalf of the fund in India other than through the fund manager indicated in 13		
16	Amount of profit made by the Fund on its investments		
17	Contact details of representative(s) of the Fund		

VERIFICATION

I,[full name in block letters]son/daughter of..... holding(Designation) on behalf of the above mentioned (Name of Fund) solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the form is correct and complete and that the other particulars shown therein are truly stated. I further declare that I am submitting this form in my capacity as and I am also competent to make this submission and verify it.

Verified today the day of

Place

Signature of Authorised Signatory

Name”

[Notification No. 29/2020/ F. No. 142/15/2015-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 304 (E) dated 20.05.2020.